"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2005—भाद्र 18, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा.प्र.से. (1991) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं संचालक, बजट तथा संचालक, संस्थागत वित्त को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (1994) संचालक, खनिज तथा संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यभार से मुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2004

फा. क्रमांक 5119/3(बी)/2/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 2 राज्य शासन कु. संघपुष्पा भतपहरी, पिता स्व. श्री मनोहर लाल भतपहरी को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2005

क्रमांक 6507/डी-1886/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 467/1-8/6/01 (पी.टी.-दो)/गोपनीय/2005, दिनांक 9-8-2005 के अनुपालन में श्री गौतम चौरड़िया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सक्ती, की सेवायें विधि और विधायी कार्य विभाग छ. ग. शासन रायपुर को आगामी आदेश तक सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2005

क्रमांक 6508/डी-1886/21-ब/छ.ग./05.— राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 459/1-8/6/01 (पी.टी.-दो)/गोपनीय/2005, दिनांक 5-8-2005 के अनुपालन में श्री गौतम चौरड़िया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सक्ती, को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर में सदस्य सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए नियुक्त करता है.

रायपुर दिनांक 18 अगस्त 2005

फा. क्र. 6743/21-ब/छ. ग./05.—छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम क्रमांक 29) की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एन. एस. राजपूत को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण का न्यायिक सदस्य नियुक्त करता है.

F. No. 6743/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Madhyastam Adhikaran Adhiniyam, 1983 (Act No. 29 of 1983), the State Government hereby appoint Shri N. S. Rajput, Retired District & Sessions Judge as the Judicial Member of the Chhattisgarh Arbitration Tribunal from the date he assumes charge of the office for a period of three years or until he attains the age of 65 years whichever is earlier.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 20-95/04/11/6.—राज्य शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 में घोषित रियायतों के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गयी है—

1.	अधिसूचना क्रमांक एफ-20-95/04/11/6 दिनांक 21-6-2005.	छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण नियम 2004
2.	अधिसूचना क्रमांक एफ-20-95/04/11/6 दिनांक 21-6-2005.	छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेंट अनुदान नियम 2004
3.	अधिसूचना क्रमांक एफ-20-95/04/11/6 दिनांक 21-6-2005.	छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2004.
4.	अधिसूचना क्रमांक एफ-20-95/04/11/6 दिनांक 21-6-2005.	छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति नियम 2004

2. उपरोक्त अधिसूचनाओं में जहां शब्द "उद्योग आयुक्त" प्रयुक्त हुआ है वहां उद्योग आयुक्त के स्थान पर शब्द "उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग" प्रतिस्थापित किया जाता है.

3. यह संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक एफ-1-3/2005/13/1.— ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक/आर-13/व्ही.आई.पी./13/2004/101, दिनांक 29 जनवरी, 2005 द्वारा श्री व्ही. के. वर्मा को सदस्य (वित्त), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के पद पर अन्य आदेश होने तक नियुक्त करते हुए यह उल्लेख किया गया था कि सदस्य के रूप में सेवा-शर्तें पृथक से निर्धारित की जावेगी. शासन द्वारा इनकी सेवा-शर्तें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:—

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में सदस्य बनने के पूर्व उनके द्वारा जो नियत एकमुश्त परिलब्धियां प्राप्त की जा रही थीं, वहीं लागू होंगी.

(2) वेतन के अलावा सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी.

(3) अवकाश-भत्ता एवं अवकाश यात्रा की पात्रता की सुविधा मंडल के समकक्ष अधिकारी की पात्रता अनुसार होगी.

(4) नियुक्ति के दौरान संबंधित अधिकारी पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 जुलाई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/रा.प्र.क्र.-09/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मोहंदीकला प.ह.नं. 1	0.097 हे.	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	सपनई सेतु पहुंच मार्ग

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 2 अगस्त 2005

क्रमांक/660/अ.वि.अ./भू-अर्जन/5/अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	मचेवा प. ह. नं. 143	0.51	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	कोडार परियोजना मचेवा माइनर खरोरा के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है..

महासमुंद, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक/687/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03-अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	लाखागढ़ प. ह. नं. 22	0.61	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	देवगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक/688/अ.वि.अ./भू-अर्जन/06/अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	देवरी प. ह. नं. 105/52	0.48	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	देवरी जलाशय के बांध पार एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 23 अगस्त 2005

क्रमांक 106/लें. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	अकोली प.ह.नं. 30	2.39	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	अकोली व्यपवर्तन के अंतर्गत अकोली नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक/690/भू-अर्जन/अ.वि.अ./24-अ/82/सन् 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-पिथौरा, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.720 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
185	0.088
187, 188/1	0.024
181/1	0.160
193/2	0.064
192/1	0.008
192/2	0.008
192/3	0.008
2	0.016
192/4	0.008
193/1	0.028
197/1	0.088
741/3	0.040
196/1	0.100
229/4	0.060
196/2	0.068

(1)	(2)
229/3	0.040
211/6	0.012
211/3	0.096
211/4	0.064
224, 225	0.008
378	0.024
212/2	0.056
212/1	0.092
212/3	0.016
213/2	0.088
238/2	0.032
213/1, 238/1, 262/1	0.092
226	0.128
373	0.008
243	0.040
230, 231	0.088
233/1	0.032
233/2	0.040
234	0.008
232/6	0.048
719	0.020
232/5	0.012
223	0.080
240/1,2,3, 241/1,2, 242, 245	0.012
377	0.028
379/1,2,3	0.024
370	0.080
369/3	0.020
376	0.028
645/1	0.120
651	0.132
652	0.048
639	0.016
640/1	0.024
640/2	0.020
641/1	0.020
653/3	0.036
638/2	0.008
653/1	0.024
653/2	0.040
635/5	0.020
677/2	0.024
721	0.36
720/2	0.016
737/1	0.032
741/4	0.020
741/5	0.016
योग 60	2.720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-देवगांव जलाशय नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/4 अ/82 वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-साराडीह, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.053

	(1)	(2)
	3	0.036
योग	2	0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सारडीह भोथाडीह मार्ग के पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2005

क्रमांक क/वा-भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.13 अ-82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-पंधी, प. ह. नं. 148/44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3	0.38
योग		0.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत लिंक केनाल के निर्माण हेतु भू-अर्जन.-

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2005

क्रमांक क/वा-भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.15 अ-82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-गोईदा, प. ह. नं. 148/44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.02 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1108	0.04
1471	0.28
1463	0.11
1351	0.05
1114	0.22
1155	0.08
1156	0.20
1157	0.33
1382	0,13
1461	0.13
1497	0.22
1106	0.21
1348	0.11
1490	0.26
1107	0.20
1381	0.09
1109	0.05
1327	0.12
1328	0.25
1073	0.06
1076	0.05
1112	0.03
1367/2	0.08
1384	0.13

(1)	(2)
1372	0.07
1491	0.13
1352	0.05
1369	0.03
1378	0.26
1385	0.17
1376	0.30
1330	0.02
1383	0.06
1380	0.33
1804	0.16
1526	0.14
1370	0.06
1464	1.28
1523	0.21
1373	0.05
1350	0.08
1489	0.09
1462	0.76
1111	0.14
1468	0.14
1496	0.40
1374	0.16
1375	0.12
1388	0.49
1368	0.03
1353	0.18
1371	0.07
1805	0.08
1367/1	0.09
1387/2	0.10
1387/1	0.04
1469	0.12
1470	0.12
1110	0.08
1326	0.03
1386	0.22
1495	0.58
1349/1	0.03
1349/2	0.03
1349/3	0.04
1379	0.14
1074	0.02
1365	0.10
1802	0.19
1113	0.04
1329	0.02
1366	0.03
1364	0.09
1525	0.17
1115	0.22
1075	0.03
योग	12.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2005

क्रमांक क/वा-भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.16 अ-82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-गुदगुदा, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
154/1	0.19

	(1)	(2)
	374	0.14
	378/1	0.07
	155	0.03
	158	0.08
योग	5	0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत मेन केनाल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2005

क्रमांक क/वा-भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.18 अ-82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-रानीसागर, प. ह. नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.44 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	904	0.03
	896	0.10
	902	0.10
	911	0.03
	912/2	0.16
	863/1	0.02
योग	6	0.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत मेन केनाल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2005

क्रमांक क/वा-भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.14 अ-82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-आरंग दा, बुढ़ी डबरी, प. ह. नं. 94/60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	4115/4	0.081
	4115/7	0.239
योग	2	0.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत लिंक केनाल के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2005

क्रमांक क/वा-भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.17 अ-82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-गुल्लू, प. ह. नं. 41/57

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2670	0.30
योग	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत मेन केनाल के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 22 जुलाई 2005

क्रमांक 5437/भू-अर्जन/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरिया

(ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़

(ग) नगर/ग्राम-उधनापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.35 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
80	0.11
846	0.09
848/2	0.60
849	0.52
851	0.09
852	1.34
81	0.17
848/1	0.32
845	0.94
85	0.16
82	0.34
84	0.45
411	0.05
832	0.16
889/2	0.50
876	1.62
987	0.10
874	0.80
872/1	0.80

(1)	(2)
872/2	0.43
872/3	0.40
860	0.21
863	0.57
410	0.06
412	0.06
862	0.33
869	0.32
875	0.10
947/1	0.20
979	0.04
980	0.35
981	0.06
984	0.21
864	0.81
886	0.14
977	0.48
1001	0.40
1004	0.70
811	0.20
833	0.41
839	0.23
1003	0.15
975	0.12
959	0.82
951	0.03
956	0.14
958	0.28
961	0.16
961	0.18
840	0.32
842	0.23
882	0.10
885	0.15
891/1	1.10
887	0.47
892	0.15
889/1	0.20
957	0.40
976	0.13
809	0.10
850	0.49
854	0.45
808	0.30
883	0.24
884	0.65
891/2	0.80
1014/1	0.14
974/2	0.12
974/3	0.06
845	1 कच्चा मकान
976	1 कच्चा मकान
योग	24.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उधनापुर जलाशय का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 22 जुलाई 2005

क्रमांक 5437/भू-अर्जन/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जड़हरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.31 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
623	0.11
1030	1.30
1047	0.48
1048	0.49
1074	0.41
631	0.36

(1)	(2)
632	0.22
1075	0.60
1076	0.48
1083	0.17
1084	0.65
1088	1.37
1220	0.55
1222	0.10
1090	0.24
1092	0.37
1061	0.20
1096	0.66
1230	0.48
1202	0.15
1226	0.08
1227	1.92
1228	0.40
1229	0.18
1232	0.45
1235	0.16
1238	0.68
1245	0.59
1246	0.48
1247	1.14
1324	0.21
1206	0.44
1217	0.75
1219	0.44
1074	1 कच्चा मकान
1083	1 कच्चा मकान
1088	1 कच्चा मकान
1090	1 कच्चा मकान
योग	17.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उधनापुर जलाशय का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमीर अली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 6 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ -
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हीचुंवा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.702 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
226	0.102
26	0.042
25	0.112
56/4	0.068
115/1	0.028
136	0.058
226/2	0.012
246/1	0.052
259	0.056
319/2	0.012
320/2	0.044
215/1	0.040
341.	0.076
योग 13	0.702

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सलखेता जलाशय के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 8/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-सारंगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-विश्वासपुर, प. ह. नं. 29
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.648 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
385, 399	0.008
400	0.142
401	0.312
402	0.186
योग	0.648

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- किंकारी जलाशय बायीं तट नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 9/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-सारंगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-मानिकपुर, प. ह. नं. 29
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.933 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
157	0.101
158	0.049
159	0.049
160	0.210
161	0.061
162	0.081
163	0.008
271/1	0.008
271/2	0.028
272/1क + 273	0.070
272/1ख + 273	0.140
272/1ग + 273	0.069
272/2 क	0.090
272/2 ख	0.023
274/1 क, 275/1 क	0.054
274/1 ख , 275/1 ख	0.055
274/2	0.053
275/2	0.146
274/3	0.020
275/3	0.008
276/2क	0.109
276/2ख	0.020
276/2ग	0.020
278/1ख+296/2	0.016
297	0.032
299/2	0.073
300/3	0.008
301	0.024
308/5क	0.065
308/5ख	0.024
309	0.138
310	0.065
311/1	0.024
311/2	0.040
312/2	0.073
313	0.101
314	0.089
315	0.036
320	0.234
321/2	0.040
321/3	0.040
323+324	0.024
325	0.089
326/1	0.049

(1)	(2)
326/2	0.008
342	0.020
344	0.101
345/1	0.040
योग	2.933

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- किंकारी जलाशय बायीं तट नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 11/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-सारंगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-राजपुर, प. ह. नं. 34
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.043 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
192	0.182
221/10	0.194
223/9	0.142
200	0.040
221/14	0.040
223/2क	0.166
221/4	0.154
223/6	0.077
221/9	0.308
223/8	0.125
199	0.170
221/13	0.040
223/11	0.032
221/3	0.129
222/1	0.255
221/7क	0.154
222/2	0.429
198	0.077
221/12	0.040
223/10	0.166
221/1	0.223
223/3ख	0.125
225	0.304
223/7	0.121
193	0.080
221/11	0.040
223/1	0.320
201	0.020
223/3क	0.162
223/2ख	0.081
221/5	0.113
221/7ख+221/8	0.534
योग	5.043

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- किंकारी जलाशय बायीं तट नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 12/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कण्डोला, प. ह. नं. 35
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.824 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
260/1	0.194
260/2	0.210
275	0.194
276/1	0.202
281	0.008
325/1	0.008
328	0.008
योग	0.824

(2) सार्वजनिक प्रयोज़न जिसके लिए आवश्यकता है- किंकारी जलाशय बायीं तट नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 14/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-धुमाभाठा, प. ह. नं. 42
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.802 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50/1	0.049
50/2ख	0.049
50/4	0.056
51/1	0.255
51/2	0.271
61/1	0.773
61/2क	0.142
61/2ख	0.146
61/3क	0.074
61/3ख	0.093
61/3ग	0.049
61/3घ	0.074
61/3ङ	0.148
61/3च	0.149
61/4	0.425
61/5	0.044
61/6क	0.244
61/6ख+61/6ग	0.190
61/6घ	0.218
61/6ङ	0.218
61/7	0.520
61/8	0.445
61/9	0.162
61/10	0.324
61/11	0.110
81/1	0.785
81/2	0.113
81/3	0.093
81/4	0.121
81/5	0.174
81/6	0.109
81/7	0.105
81/8	0.109
81/9	0.117
82/2	0.324
83/9	0.045
199/1	0.016
199/3	0.081
187+192/2	0.028
199/4	0.040
199/5	0.020
236+237/2क	0.142
236+237/क	0.142
236+237/2ख	0.142
236+237/2ग	0.142

(1)	(2)
236+237/2घ	0.142
199/2	0.073
190	0.199
योग	8.802

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- किंकारी जलाशय बायीं तट नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 15/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कंवरपाली, प. ह. नं. 43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.755 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18/1	0.032
18/2	0.028
19/3ख	0.081
19/4	0.069
19/5	0.016
19/6	0.024
20/1	0.049
20/2+25/5	0.073
20/3	0.036
20/4	0.032
22/1	0.020
22/2	0.049
23/1	0.008
23/2	0.049
23/6	0.036
23/7	0.036
26/1ग	0.020
26/ख	0.016
36/3	0.032
37	0.049
योग	0.755

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- किंकारी जलाशय बायीं तट नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 17/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चिंगरीडीह, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.269 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.085
3/2	0.049
6/2	0.028

(1)	(2)
6/3	0.016
5	0.096
23/1	0.085
23/2	0.073
121/1	0.056
34/1	0.105
34/3	0.138
43/2	0.73
45/3	0.016
127	0.085
126	0.186
124	0.066
125/2	0.008
125/3	0.024
योग	1.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- किंकारी जलाशय बायीं तट नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 18/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-पिकरीपाली, प. ह. नं. 47

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.269 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
133	0.020
132/1	0.015
134/1	0.042
51/1	0.048
134/2	0.038
135	0.103
128	0.004
24+36/5	0.065
84/1	0.075
82+83/2	0.037
37/1	0.032
81	0.007
79/1	0.002
50/1	0.055
80/1	0.050
80/2	0.044
69/1	0.046
52/2	0.009
67/1	0.038
38/1	0.008
67/2	0.025
65/2+65/3	0.057
23	0.094
24+36/4	0.022
24+36/2	0.005
35	0.040
50/3	0.031
37/3	0.017
37/2क	0.031
37/2ख	0.016
59/3	0.022
58	0.089
50/4	0.031
49/1	0.051
योग	1.269

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- किंकारी जलाशय बायीं तट नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 अगस्त 2005

प्रकरण क्रमांक 7अ/-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-पिरैया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.68 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
33/1	0.21
33/2	0.35
33/4, 33/5	0.76
34/1	0.03
34/2	0.20
35/1	0.36
37	0.17
38	0.10
42	0.23
48/2	0.46
48/3	0.01
48/4	0.27
48/5	0.34
49/1, 49/2	0.30
50/4	0.08
59/2	0.03
59/3	0.28
59/4	0.07
59/5	0.48
59/6	0.14
60/2	0.68
61/1, 61/2	0.60
62/1	0.07
62/2	0.40
63/2	0.10
63/3	0.05
63/4	0.20
63/5	0.12
63/10	0.22
80	0.23
82/2	0.05
82/3	0.19
82/5	0.45
84/3	0.28
87/1	0.37
87/2	0.18
87/3	0.22
88	0.69
89/1	0.19
89/2	0.19
89/3	0.20
90/1	0.26
90/2	0.10
90/4	0.16
91	0.20
544/3	0.35
544/4	0.50
545/1	0.07
545/3	0.50
546	0.08
547	0.76
548	0.10
570/1	0.70
570/2	0.43
570/3	0.10
571	0.15
572	0.15
573/1, 573/2	0.66
573/3	0.48
574/1	0.05
574/2, 575/2	0.85
577	0.03
578/1	0.36
578/2	0.07

(1)	(2)
578/3	0.75
579/3	0.31
579/12क	0.04
580/1	0.01
580/2	0.70
580/3	0.31
581/1	0.16
581/2	0.74
योग 72	20.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2005

प्रकरण क्रमांक 29 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सरसेनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
57/1	0.06
57/2	0.10
57/3	0.12
योग 3	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोपरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2005

प्रकरण क्रमांक 1 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सर्करा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.59 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
585/1	0.04
589/2	0.11
241/1	0.17
255	0.27
योग 4	0.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोपरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2005

प्रकरण क्रमांक 12 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलमुन्डी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	400/13	1.00
योग		1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोपरा जलाशय डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2005

प्रकरण क्रमांक 28 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सैंदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.75 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	32/1	0.08
	32/3	0.04
	36/2	0.16
	40/2	0.23
	74	0.70
	126	0.57
	20/1	0.96
योग	7	2.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोपरा जलाशय डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2005

प्रकरण क्रमांक 30 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 18[illegible]) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बहतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	364	0.40
योग		0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोपरा जलाशय डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालयों के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th August 2005

No. 468/Confdl./2005/II-15-66/2001 (Pt.II).—The following Ad-hoc Additional District & Sessions Judges serving in Fast Trac Courts as specified in column No. 2 presently posted at the places specified in column No. 3 of the table below are directed to report in the Judicial Officers' Training Institute (J.O.T.I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 22nd August 2005 at 3 p.m. for attending workshop on Stress Management and for undergoing "Refresher/Reorientation Course on Legal Empowerment-Court Management" to be held from 23rd to 25th August 2005:

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Ad-hoc A.D.Js. (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Anthres Toppo	III Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Surajpur.
2.	Shri Blacious Toppo	III Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Kanker.
3.	Shri Bhuneshwar Ram Pradhan	XI Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Raipur.
4.	Shri Neelam Chand Sankla	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Pendra-Road.
5.	Shri Naresh Kumar Chandrawanshi	IX Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Bilaspur.
6.	Shri Ravi Shankar Sharma	VIII Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Bilaspur.
7.	Shri Vijyendra Nath Pandey	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Ramanujganj.
8.	Shri Vinay Kumar Kashyap	IX Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Durg.
9.	Shri Deepak Kumar Tiwari	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Kawardha.
10.	Shri Radha Kishan Agrawal	IV Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Surajpur.
11.	Shri Govind Kumar Mishra	III Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Ambikapur.
12.	Shri Nirmal Minj	XII Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Raipur.

(1)	(2)	(3)
13.	Shri Sewak Ram Banjare	III Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Janjgir.
14.	Shri Agralal Joshi	IV Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Raigarh.
15.	Shri Ravi Shankar Sai	IV Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Jagdalpur.
16.	Shri Sypricl Xcss	XIII Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Raipur.
17.	Shri Nand Kumar Singh Thakur	II Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Mungeli.
18.	Shri Lochan Ram Thakur	VIII Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Durg.

Bilaspur, the 10th August 2005

No. 472/Confdl./2005/II-2-1/2005.—Shri Alok Jha, Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Bilaspur is, hereby, appoitned as Officiating District & Sessions Judge, Bilaspur until further orders in addition to his present assignment as Special Judge from the date he assumes charge of his new assignment. As soon as regular District & Sessions Judge takes over charge of the said post, he shall revert to his original post.

Shri Alok Jha, Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Bilaspur is also appointed as Sessions Judge for Bilaspur Sessions Division under sub-section (2) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure until further orders. As soon as the regular Sessions Judge takes over charge of the said post, Shri Alok Jha shall automatically revert to his original post.

Bilaspur the 17th August 2005

No. 493/Confdl./2005/II-15-66/2001 (Pt. II).—Shri Neelam Chand Sankla, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Pendra-Road, Shri Vijyendra Nath Pandey, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Ramanujgang, Shri Sewak Ram Banjare, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Janjgir and Shri Nand Kumar Singh Thakur, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Mungeli, who were directed to attend the "Refresher/Reorientation Course on Legal Empowerment-Court Management" to he held from 23rd to 25th August 2005 vide Registry order No. 468/Confdl./2005/II-15-66/2001 (Pt. II) dated 10th August 2005, are hereby exempted from attending the aforesaid course due to non-availability of other Additional District and Sessions Judges at the Headquarters where they are posted.

By order of the High Court,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.

Bilaspur, the 22nd August 2005

No. 111/1-7-3/2004 (Pt. Ist).—It is hereby notified that 29th August 2005 shall now be a non-working day for the High Court and in lieu thereof, Saturday falling on 3rd December 2005 will be Court working day for the High Court. However, the Registry will remain open on 29th August, 2005.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. R. L. NARAYANA, Additional Registrar (Est.).